न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः— हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0ः—82/15 दायर दिनांक 31.08.2015

जीसीएमएस आई0डी0ः—2016/00443

गिरधारी उम्र 70 साल पुत्र बत्तु जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0।

——सायल

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र मूल्या उम्र 40 साल
2. मोहनसिंह पुत्र मूल्या उम्र 30 साल
3. मगनी बेवा मूल्या उम्र 50 साल
4. कैलाशी पुत्री मूल्या उम्र 28 साल
5. कलावती पुत्री मूल्या. उम्र 25 साल
6. गुडडी पुत्री मूल्या उम्र 22 साल

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम—झारेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

7. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः—1. श्री अशोक नीमनका वकील सायल
2. श्री संजय शर्मा वकील गैरसायलान

निर्णय दिनांकः— 28-2-25

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजी खसरा न0 924/1, 925, 926, 927 कुल किता 4 कुल रकबा 52 ऐयर स्थित ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन का सायल रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। जिस सायल ने पूर्व खातेदार घूडया पुत्र मेघा जाति मीना निवासी झारेडा से जरिये रजिस्ट्री खरीद किया है। उक्त खसरा न0 साबिक खसरा न0 990 स्थित ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन से तरमीम किये है। साबिक नक्शा ट्रैस में साबिक खसरा न0 990 की पूर्वी डोल रास्ते के सहारे एवं साबिक खसरा न0 999 की पश्चिमी डोल आपस में मिली हुई है। नवीन रिकॉर्ड में साबिक खसरा न0 999 के सेटिलमेंट विभाग ने खसरा न0 918, 919 व 920 नये नम्बर तरमीम किये है।

खसरा न0 1402, 1403 वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन में गैरसायल स0 1 ता 6 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। खसरा न0 1402 व 1403 साबिक खसरा न0 998 से सेटिलमेंट विभाग ने तरमीम किये है। साबिक नक्शा ट्रैस में खसरा न0 998 की उत्तरी डौल साबिक खसरा न0 990 की पूर्वी दक्षिणी कोने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:05 IST
Reason: SelfAttested

मिली हुई है एवं साबिक खसरा न0 998 एव रास्ते के बीच में सायल की खातेदारी का खेत खसरा न0 990 साबिक ट्रेस में भली प्रकार तरमीम है। एवं साबिक रिकॉर्ड के आधार पर ही सायल मौके पर काबिज एवं दखील है।

दौराने सेटिलमेंट विभान के कर्मचारियों ने गैरसायालान से साज कर साबिक खसरा न0 998 से तरमीम कर बनाये नवीन खसरा न0 1402 व 1403 को नवीन नक्शा ट्रैस में सायल की खातेदारी में शामिल करते हुए खसरा न0 1402 को आम रास्ता ग्राम झारेडा से मिला दिया, एवं नवीन खसरा न0 924 व 920 के मध्य में खसरा न0 1402 को तरमीम कर दिया। जिसका सेटिलमेंट विभाग को कोई अधिकार नहीं था। जबकि सायल एवं गैरसायलान मौके पर आजमी अपने–अपने खातेदारी के खेतो पर साबिक रिकॉर्ड के अनुसार काबिज है, एवम गैरसायलान का खेत खसरा न0 1402 सायल के खातेदारी के खेत खसरा न0 924 के पूर्वी दक्षिणी डोल तक ही सीमित है। एवं साबिक नक्शा ट्रैस के आधार पर ही मौके पर सायल एवं गैरसायलान काबिज एवम दखील है।

वाका दिनांक 17.08.2015 को सायल अपने खेतों में फसल की देखभाल कर रहा था कि गैरसायलान एक राय होकर आऐ, एवं कहने लगे, कि नऐ नक्शा ट्रैस में हमारा खेत खसरा न0 1402 आम रास्ते तक स्थित है। लेकिन तुमने पुराने नक्शा ट्रैस के आधार पर खेत न0 924/1 पर कब्जा कर रखा है। जिस पर सायल ने गैरसायलान को समझाने का प्रयास किया कि तुम्हारा खेत खसरा न0 1402 कभी भी रास्ते के सहारे नहीं था, तो सेटिलमेंट की गलती से तुम्हारा खेत के सहारे नहीं आ सकता। तुम मेरे रकबे पर कब्जा नहीं कर सकते। इस पर गैरसायलान नाराज हो गये और उन्होने ऐलानिया तौर पर कहा कि हम जबरन तुम्हारे खेत में होकर नए नक्शा ट्रैस के आधार पर कब्जा करेंगे एवम अपने खेतों को तुम्हारे खसरा न0 924/1 में होकर सीमाबंदी करके रहेगे।

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान आराजी खसरा न0 924/1, 925, 926, 927 कुल किता 4 रकबा 52 ऐयर स्थित ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0 के रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:50:05 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल न0 1 ता 6 की ओर से श्री संजय शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया एवं आदेशिका दिनांक 19.10.2012 से जबाब पेश किया गया जो निम्नानुसार है:--

1. सायल ने गैरसायलान के खिलाफ सम्मानीय अदालत में दावा कतई गलत दायर किया है। जिसमें सायल कभी सफल नहीं हो सकता है।
2. प्रार्थना पत्र का मद नं. 2 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। खसरा नं. 924 ग्राम झारैडा तहसील हिण्डौन में नहीं है। राजस्व अधिकारीगण ने खसरा नं. 924 के मिन नम्बर कायम नहीं किये हैं। सायल का यह कथन भी कतई गलत है कि सायल ने विवादित भूमि को पूर्व खातेदार घूडया पुत्र मेघा मीना निवासी झारैडा से कब खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है यह तथ्य भी स्पष्ट नहीं है। प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 के तथ्य कतई वेग तथा अस्पष्ट है। सायल का खसरा नं. 924/1 दर्ज करना बदयांन्ति का घोतक है। भूप्रबंध अधिकारीगण एंव रेवन्यू अधिकारीगण ने साविक खसरा नं. 990 एंव 994 से नवीन खसरा नं. 924 रकवा 0.28 हैक्टेयर कायम किया है। इस कारण भी सायल के प्रार्थना पत्र के मद नं. –1 के कथन कतई गलत होने के कारण अस्वीकार हैं। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंन्दी संम्वत 2036 से 2040 में साविक खसरा नं. 990 रामकिशन पुत्र चंन्दर जाति मीना की खातेदारी में दर्ज हैं। तो घूड्या पुत्र मेघा की खातेदारी में कब से कब तक रही, यह स्पष्ट नहीं है। तथा सायल ने कब खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, यह तथ्य भी स्पष्ट दर्ज नहीं है। सायल का यह कथन भी कतई गलत है कि साविक खसरा नं. 990 से नवीन खसरा नं. 924/1, 925 926, 927 कायम किये हैं, कतई गलत है। बल्कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड मिलान क्षेत्रफल 924, 925, 926, 927 साबिक खसरा न0 990 तथा 994 से तरमीम किये है। सायल का यह कथन भी कतई गलत है कि साबिक नक्शा ट्रैस में 999 की पूर्वी दिशा की हौल खसरा नं. 203 के रास्ते के सहारे स्थित है बल्कि खसरा न0 203 की सीमा पर ही खसरा नं. 990 की सीमा समाप्त हो जाती है। सायल का यह कथन भी कतई गलत है कि साबिक खसरा नं. 999 से नवीन खसरा नं. 918, 919, 920 कायम किये हैं। सायल ने खसरा न0 918, 919, 920 के खातेदारान को भी दावा हाजा में पक्षकार ना बनाकर कानूनी भूल की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:50:05 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रार्थना पत्र का मद नं. 3 जिस प्रकार तहरीर किया है. स्वीकार नहीं है। सायल का यह कथन भी कतई गलत है कि नवीन खसरा नं. 1402 तथा 1403 केवल साविक खसरा नं. 998 से तरमीम किये हैं। बल्कि साविक खसरा नं. 998, 997 तथा 1004 से नवीन खसरा नं. 1402 तथा 1403 तरमीम किये हैं। सायल का यह कथन भी कतई गलत है कि साविक खसरा नं. 998 की उत्तरी डौल साबिक खसरा नं. 990 की पूर्वी दक्षिणी कौने पर मिली हो। सही स्थिति यह है कि नवीन खसरा नं. 924 गैरसायलान के नवीन खसरा नं. 1402 के पश्चिम डौल पर ही समाप्त हो जाती है। खसरा नं. 1402 नवीन आम रास्ता की भूमि खसरा नं. 922 के भिडा (एडजोरनिंग) हुआ है। गैरसायलान खसरा नं. 1402 से खसरा नं. 922 में स्थित रास्ता से आते जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि खसरा नं. 1402 की उत्तरी डौल खसरा नं. 922 में भिडी हुई हैं। सायलान का यह कथन भी कतई गलत है कि साविक खसरा नं. 990 एंव खसरा नं. 998 के बीच सायलान के रास्ता की भूमि स्थित हो। बल्कि साविक रेवन्यू ट्रैस में भी खसरा नं. 990 चारों तरफ से डौल–मॅड से महदूद है। तथा साविक खसरा नं. 998 की डौलमेड अलग है। अर्थात खसरा नं. 990 तथा 998 के बीच कोई रास्ता कभी नहीं रहा है। सायलान नवीन खसरा नं. 924 के उत्तर दिशा में स्थित नवीन खसरा नं. 203 आम रास्ता की भूमि से आते हैं।

4. प्रार्थना पत्र का जद में 4 कई जलत होने के कारण अस्वीकार है। सायल का यह कथन कतई गलत है कि गैरसायलान ने सैटिलमैन्ट विभाग के कर्मचारियों से साज कर सायल की भूमि साविक खसरा नं. 990 के पूर्वी कौने की भूमि का नवीन खसरा नं. 1402 तरमीम कराया हो। बल्कि नवीन खसरा नं. 1402 रकवा 17 ऐयर तथा 1403 रकया 9 ऐयर साविक खसरा नं. 998 तथा 997 एंव 1004 से तरमीम किया है। यह तथ्य भू–प्रबंध्य विभाग द्वारा तैयार किये मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट रूप से साबित हैं। सायल का यह कथन भी कतई गलत है कि नवीन खसरा नं. 924 तथा 920 के मध्य सायल की भूमि साविक खसरा नं. 990 की भूमि हो। बल्कि सही स्थिति यह है कि खसरा नं. 924 तथा 920 के मध्य प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि खसरा नं. 1402 तथा 1403 है। जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:05 IST
Reason: SelfAttested

पर गैरसायलान का कब्जा है। खसरा नं. 1402 तथा 1403 के किसी भी भाग पर सायल का कब्जा नहीं है। सैटिलमैन्ट विभाग के कर्मचारी मौके पर नाप–तौल करके साबिक रिकार्ड के आधार पर ही नवीन राजस्व रिकार्ड तैयार करते हैं। पहले पर्चा लगान किया जाता है। मौके पर कच्ची तथा पक्की पर्ची तैयार की जाकर खातेदारान को वितरित की जाती है। किसी की कोई उजरदारी होती है तो मौके पर ही निरतारण किया जाता है। इसके बाद अंतिम रूप से नवीन राजस्व रिकार्ड तैयार किया जाता है। तहसील हिण्डोन में संम्वत 2040 के बाद नवीन राजस्व जमाबंन्दी अंतिम रूप से तैयार होकर राजस्व विभाग के सुपुर्द कर दिया है। इतने अंन्तराल के बाद सायल ने दावा तथा प्रार्थना पत्र हाजा कतई गलत दायर किया है। दावा वादी म्याद बाहर है।

5. प्रार्थना पत्र का मद नं. 4 कतई गलत होने के कारण अस्वीकार है। (उक्त मद को सायल ने दोबारा मद नं. 4 अंकित कर दिया है दिनांक 17.08.15 या कभी भी कोई करायला ने नहीं ही दिनांक 17.08.15 को तो गैरसावल माजी या दिल्ली पुलिस में नौकरी पर था। तथा गैरसायनं 3 मगनी वृद्ध बेचा है। तथा गैरसायल नं. 4–5–6 अपनी ससुराल में थी। इसलिये इनके द्वारा सायल को कोई धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जब राजस्व रिकार्ड में खसरा नं. 924/1 का कोई वजूद ही नहीं है तो खसरा नं. 924/1 पर कब्जा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। नवीन बसरा नं. 1402 के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि है। गैरसायल की भूमि खसरा नं. 924/1 का भू–भाग नहीं है।

6. उपरोक्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन तथा अतुल्य क्षति का सिद्धांन्त गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। गैरसायल रिकार्डेड खातेदार हैं। इसलिये गैरसायलान को टी.आई से पाबंन्द नहीं किया जा सकता। यदि गैरसायलान को टी. आई से पार्बन्द कर दिया गया तो गैरसायलान को अपूर्त हानि होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं है।

सायल ने इंन्द्राज दुरूस्ती के दावे में राज[illegible] जरिये जिला कलैक्टर करौली को पक्षकार नहीं बनाया है। ज[illegible] कि अ[illegible]कार है। तहसीलदार हिण्डौन को अनावश्यक रूप से गलत पक्षकार बनाया है। इसलिये दावा तथा प्रार्थना पत्र हाजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:50:05 IST
Reason: SelfAttested

नॉनजोइंन्डर एंव मिसजॉइन्डर पार्टी की कानूनी खामी के कारण खारिज होने योग्य है। गैरसायलान आराजी खसरा नं. 1402–1403 वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। जिसके किसी भी भाग पर साथल का करता सही है। कला के अभाव में सायल को रिकार्डेड खातेदारान गैरसायलान को जरिये टी आई पार्वन्द कराने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सायल ने गैरसायमान के विरूद्ध धारा 88 राज, काश्तकारी अधिनियम के तहत गलत तथा बेबुनियाद दावा किया है। वादी का दावा म्याद बाहर है। अतः जबाब टी. आई पेश कर अर्ज है कि सायल का प्रार्थना पत्र भय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

गैरसायलान का जबाब शामिल पत्रावली किया गया।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए अपने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फोटो कॉपी ट्रैस नवीन खसरा न0 1403, फोटो कॉपी पुरानी ट्रैस, फोटो कॉपी पुरानी रेवेन्यु ट्रैस, फोटो कॉपी पुरानी सीट, फोटो कॉपी मिलान क्षेत्रफल, फोटो कॉपी मिलान क्षेत्रफल, फोटो कॉपी नकल ट्रैस, फोटोकॉपी जमाबंदी खसरा न0 1402, 1403 वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन पेश किये।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वकील सायलान ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान आराजी खसरा न0 924/1, 925, 926, 927 कुल किता 4 रकबा 52 ऐयर स्थित ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0 के रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने का निवेदन किया। गैरसायलान ने अपने बहस कथन में जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि दावा तथा प्रार्थना पत्र हाजा नॉनजोइंन्डर एंव मिसजॉइन्डर पार्टी की कानूनी खामी के कारण खारिज होने योग्य है। गैरसायलान आराजी खसरा नं. 1402–1403 वाके ग्राम झारैडा तहसील हिण्डौन के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। जिसके किसी भी भाग पर साथल का करता सही है। कला के अभाव में सायल को रिकार्डेड खातेदारान गैरसायलान को जरिये टी आई पार्वन्द कराने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सायल ने गैरसायमान के विरूद्ध धारा 88 राज, काश्तकारी अधिनियम के तहत गलत तथा बेबुनियाद दावा किया है। वादी का दावा म्याद बाहर है। प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:50:05 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फोटो कॉपी ट्रैस नवीन खसरा न0 1403, फोटो कॉपी पुरानी ट्रैस, फोटो कॉपी पुरानी रेवेन्यु ट्रैस, फोटो कॉपी पुरानी सीट, फोटो कॉपी मिलान क्षेत्रफल, फोटो कॉपी मिलान क्षेत्रफल, फोटो कॉपी नकल ट्रैस वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन के सायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि सायलान द्वारा उक्त खसरा नम्बर पर वाद पत्र के तथ्यो के संबध में वाद में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक बहस में साबित करने में असफल रहा है। प्रकरण में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । खसरा न0 924/1, 925, 926, 927 वाके ग्राम झारेडा तहीसल हिण्डौन में रिकॉर्ड एंव मौके की यथास्थिति के संबंध में दिनांक 31.08.2015 को जारी अंतरिम स्थगन आदेश खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 28-2-25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/2/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:50:05 IST
Reason: SelfAttested